संख्या-47/2017/383/नौ-5-2017-154बजट/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद,

जायस जनपद अमेठी।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड्क सुधार योजना' के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के भुगतान पर रोक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-251/2015/238एम/नौ-5-2015-154बजट/2015 दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में **'नगरीय सड्क सुधार योजनान्तर्गत'** "रायबरेली सुल्तानपुर रोड से मुनशीर भटटे की ओर इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण" कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना की **रू. 40.00 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **कुल रू. 12.00 लाख (रू बारह लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि शासनादेश संख्या-3393/नौ-5-2016-144बजट/2015 टीसी दिनांक 30.12.2016 द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इस शर्त के साथ बढ़ायी गयी है कि इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. इसी मध्य श्री सै0 सादिक मेंहदी सभासद वार्ड नं0 24 नगर पालिका परिषद, जायस-अमेठी व अन्य का शिकायती पत्र दिनांक 19.01.2017 शासन को प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि उपरोक्त वर्णित स्वीकृत कार्य का मार्ग ग्राम पंचायत बहादुरपुर विकास खण्ड बहादुरपुर जनपद अमेठी की सीमा के अन्तर्गत स्थित है। इस संबंध में ग्राम बहादुरपुर से न तो कोई अनुमति ली गयी है और न ही अनापत्ति प्राप्त किया गया है और न ही नगर पालिका परिषद बोर्ड द्वारा उक्त सड़क निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है। उक्त शिकायत को शासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए मामले की जॉच कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

14/2/2017

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-47/2017/383(1)/नौ-5-2017-154बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, अमेठी।
4. कोषाधिकारी, अमेठी।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.लखनऊ।
6. निदेशक, निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जायास जनपद अमेठी
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी।

c/c